कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज.)

क्रमांक :– रीडर/2024/08 दिनांक :– 26.02.24

–: कार्यालय आदेश :–

(रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 31.03.2024 तक)

मैं, नम्रता पारीक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 31.03.2024 तक में निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में अंकित अवकाश के दिन धौलपुर जिला की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जामानत, रिमाण्ड ड्युटी, धारा 164 द.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होगें) से संबधित मामलों की सुनवाई कॉलम संख्या 3 में न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी जिनका नाम कॉलम संख्या 4 में अंकित है करेंगें :–

क.सं.	दिनांक अवकाश	मजिस्ट्रेट न्यायालय धौलपुर न्याय क्षेत्र	पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर
1.	03.03.2024	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर(राज.)	श्री भीमसिंह मीणा मो. 9871069193
2	08.03.2024 से 10.03.2024	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा	सुश्री अन्नु यादव, मो. 9694167777
3	17.03.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडी जिला धौलपुर।	श्री ललित मीना, मो. 8280113991
4	23.03.2024 से 25.03.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या तीन धौलपुर	श्रीमती बिनय जयपुरिया, मो. 8595746104
5	29.03.2024 व 31.03.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सैपऊ,	रेणु कुमारी गोयल मो.9462318426

नोटः–

(1) अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 11:00 बजे से सांय 02:00 बजे तक रहेगा। उक्त दिनांक के राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य के लिये अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में बैठने के समय के अतिरिक्त भी उक्त दिनांक के साथ–साथ आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) निर्धारित समय में आवश्यक फौजदारी कार्यो के प्रार्थनापत्र अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश न करने एवं अधिकृत अधिकारी के निवास पर मुल्जिमों को पेश करने पर सम्बन्धित पुलिस कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिमो को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवा कर बाहर रखा जावे एवं संबंधित अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोविड–19 महामारी रोकथाम हेतु जारी परिपत्रों के निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी अपनी सुविधानुसार न्यायालय कार्मिकों को उपस्थित रखेगा।

(3) तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।

-Sd-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

धौलपुर (राज.)